

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

~~C-1~~ NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA SINGH

.... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

.....RESPONDENTS


INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board.	
2.	<u>ANNEXURE-1</u> True Copy of the closer order dated 26.12.2024	
3.	<u>ANNEXURE-2</u> True Copy of the closer order dated 26.12.2024	
4	<u>ANNEXURE-3</u> True Copy of the CTE	
5	<u>ANNEXURE-4</u> True Copy of the closer order dated 06.03.2025	
6	<u>ANNEXURE-5</u> True Copy of the closer order dated	

	21.11.2024	
7	<u>ANNEXURE-6.</u> Copy of the Email sent by Discom	
8	<u>ANNEXURE-7</u> True Copy of the letter dated 19.03.2025	

NEW DELHI

DATED: 25.03.2025


(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com



BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024
(IA No. 128/2024)

IN THE MATTER OF:-

RAJENDRA TYAGI

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

....RESPONDENT(S)

RESPONSE/REPLY ON BEHALF OF UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD

I, Vikas Mishra, S/o. Shri Ganga Sharan Misra, aged about 45 years,
Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Greater
NOIDA, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is a Regional Officer of the respondent of UPPCB, in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.
2. That the present affidavit is being filed on behalf of the UPPCB pursuant to the order dated 09.12.2024 passed by Hon'ble Tribunal.




3. That the UPPCB has inspected earlier and found 05 under construction projects. Summary of these projects are given below:

Sl. No.	Name & Address of Project	Remark/Current status
1.	M/s Ghaziabad Developers & Builders, Bhagwati Developers (Dwarka City Colony/Santel Colour Picture Tubes) in Chhapraula village	UPPCB has issued Closure order under 31A of Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 and imposed Environmental compensation of Rs 21,40,000/- vide letter dated 26.12.2024. Copy of the said closure order is being annexed herewith and marked as Annexure-1.
2.	M/s Sahara Enclave/City along GT. Road in Greater Noida, Gautam Buddh Nagar.	UPPCB has issued Closure order under 31A of Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 and imposed Environmental compensation of Rs 21,40,000/- vide letter dated 26.12.2024. Copy of the said closure order is being annexed herewith and marked as Annexure-2.
3.	M/s Trilok puram greens(Promoter- M/s Analox town planner Pvt Ltd), Village-Gulistanpur in front of village	Project proponent has obtained CTE from State Board. Copy of the CTE order is being annexed herewith and marked as Annexure-3.



	Devla, Greater Noida	
4.	M/s PP Estate (Promoter- Purusottam estate), Village- Dhoom manikpur GT road, Greater Noida	UPPCB has issued Closure order under 31A of Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 and imposed Environmental compensation of Rs 15,00,000/- vide letter dated 06.03.2025. Copy of the said closure order is being annexed herewith and marked as Annexure-4.
5.	M/s Escon pride villa (Promoter- M/s Escon infra Ltd), Village- Birondi, Sector Pi-1&2, Graeter Noida.	UPPCB has issued Closure order under 31A of Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 and imposed Environmental compensation of Rs 10,50,000/- vide letter dated 21.11.2024. Copy of the said closure order is being annexed herewith and marked as Annexure-5.

According to above summary, UPPCB has issued closure order to 04 projects and one project namely M/s Trilok Puram greens (Promoter-M/s Analox town planner Pvt Ltd) has obtained CTE from State Board.



4. That thus all the four projects, out of five are lying closed pursuant to the closure order issued by the U.P. Pollution Control Board. So far as the Environmental Compensation is concerned, action for recovery of the same is under progress and will be recovered in accordance with law upon non-deposit of the same by the respective Project Proponent. As far as M/s. Escon Pride Village Promoter- M/s. Escon Infrat Ltd. is concerned, it is submitted that project work has stopped as few families are residing in the project on their request as per the instructions of District Magistrate, the Discom has restored the electricity connection. Copy of the email sent by Discom is being annexed herewith and marked as Annexure-6.

5. That UPPCB has also sent a letter to Noida Authority, GNIDA and Irrigation department regarding to prevent illegal plotting in the area falling in floodplain zones in the Villages vide letter dated 19.03.2025. Copy of the said letter is being annexed herewith and marked as Annexure-7



6. That the present affidavit on behalf of the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution control Board, is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.


DEPONENT

VERIFICATION:


I, the above noted deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS DAY THE DAY OF MARCH, 2025 AT GREATER NOIDA.


DEPONENT



ATTESTED


Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H21759 / सी-1 / वायु-1930 / बन्दी आदेश-वायु / 2024

दिनांक 25/12/24

पंजीकृत

मैसर्स द्वारिका सिटी,
(प्रमोटर्स-मै० भगवती डेवलेपर्स / गाजियाबाद डेवलेपर्स)
ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
मो० नम्बर-9910182072

यह कि मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै० भगवती डेवलेपर्स / गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा जो कि आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.09.2024 के अनुक्रम में परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-30.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर में परियोजना स्वामी द्वारा विगत कई वर्षों से समतल कलर लिमिटेड से भूमि क्रय कर पृथ-पृथक क्षेत्रफल के आवासीय प्लॉट विकसित कर उक्त के विक्रय का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण में परियोजना स्वामी द्वारा भूमि के संबंध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध/अवलोकित नहीं कराये गये तथा किसी अन्य विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के संबंध में भी सूचना प्राप्त नहीं करायी गयी है। निरीक्षण के समय परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ग्रीन नेट से ढकने की व्यवस्था, एण्टी स्मॉग गन एवं लो कॉस्ट पी०एम० सेन्सर की व्यवस्था तथा जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। परियोजना द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै० भगवती डेवलेपर्स / गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध प्रथम निरीक्षण दिनांक-01.05.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक 214 दिन हेतु रूपया-21,40,000 /-(रूपया इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी के कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.09.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में परियोजना के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

....2

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल : info@uppecb.com

JE/AEE(S)

For n. a. M.

04/1/25

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail : info@uppecb.com

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै0 भगवती डेवलेपर्स/गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै0 भगवती डेवलेपर्स/गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, ग्रेटर नोएडा निर्माण कार्य को बन्द कर दें।
2. यह कि मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै0 भगवती डेवलेपर्स/गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, ग्रेटर नोएडा को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत मैसर्स द्वारिका सिटी, (प्रमोटर्स-मै0 भगवती डेवलेपर्स/गाजियाबाद डेवलेपर्स) ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त प्रथम निरीक्षण दिनांक-01.05.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक कुल-214 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रूपया-21,40,000/- (रूपया इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है जिसका भुगतान Payment gateway (URL:<https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- | | |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय | Greater Noida |
| 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB |

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करते हुए उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी ।

(ए0के0 आनन्द)

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि परियोजना को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पावर कार्पोरेशन लि0, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय प्रेषित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

Annexure-2

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: H21760 / सी-1 / वायु-1929 / बन्दी आदेश-वायु/2024

दिनांक 26/12/24

पंजीकृत

मैसर्स सहारा इन्वलेव,
ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
मो०नम्बर-8392862702

यह कि मैसर्स सहारा इन्वलेव, ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा जो कि आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.09.2024 के अनुक्रम में परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-30.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर में फ़ैडस इन्वलेव, शिवाय वैली, राधा-कृष्ण कुंज, एलाइड इन्वलेव, हाइवे मेन्शन इत्यादि नाम से रो-हाऊसिंग हेतु प्लानिंग की गयी है, जिनमें निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है तथा परियोजना द्वारा किसी भी अन्य संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के संबन्ध में भी सूचना प्राप्त नहीं करायी गयी है। परियोजना से बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी के कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत मैसर्स सहारा इन्वलेव, ग्राम-छपरौला, जी०टी० रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध प्रथम निरीक्षण दिनांक-01.05.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक की डिफाल्टर अवधि हेतु रूपया-21,40,000/- (रूपया इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी के कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.09.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसार परियोजना के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

....2

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल : info@uppcb.com

JE/AEE (S)

for n.a.pl.

04/12/25

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail : info@uppcb.com

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैसर्स सहारा इन्क्लेव, ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स सहारा इन्क्लेव, ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा निर्माण कार्य को बन्द कर दें।
2. यह कि मैसर्स सहारा इन्क्लेव, ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत मैसर्स सहारा इन्क्लेव, ग्राम-छपरौला, जी0टी0 रोड, निकट-हरीशचन्द्र का बाग, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त प्रथम निरीक्षण दिनांक-01.05.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक कुल-214 दिन की डिफाल्टर अवधि हेतु रूपया-21,40,000/- (रूपया इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है जिसका भुगतान Payment gateway (URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1- Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति	Air Pollution
2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय	Greater Noida
3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया	UPPCB

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करते हुए उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी ।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि परियोजना को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 2. पावर कार्पोरेशन लि0, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
 3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय प्रेषित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
 Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :04/09/2024 To 03/09/2029

Category : RED

Application Id : 27732290

Ref No. - 218917/UPPCB/GreaterNoida(UPPCBRO)/CTE/GREATER NOIDA/2024 Dated:- 10/09/2024

To ,

Shri Ashish Goyal
 M/s Analox Town Planners Pvt Ltd
 Khasra No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 56, Village - Gulistanpur, Surajpur Site C, Pargana Dadri,
 Tehsil Sadar, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh ,GAUTAM BUDDHA
 NAGAR,201306
 GREATER NOIDA

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 27732290 dated - 13/08/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

- Consent to Establish is being issued for following specific details :
 A- Site along with geo-coordinates :
 B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	Metric Tonnes/Day	0

- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	0
Plot area 67030 sqm.	0
Built-Up area 1400 sqm.	0
No DG sets proposed at site	0

- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Municipal Supply	Authority Supply	649.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	325.0
aaa	324.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 03/09/2029 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1. This CTE is being granted for Land Area Development Project to M/s Analox Town Planners Pvt Ltd, Khasra No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 56, Village - Gulistanpur, Surajpur Site C, Pargana Dadri, Tehsil Sadar, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar for Plot Area-67030 sqm and Built up Area-1400 sqm. This CTE will be void if there is any change in above mentioned address or product. The applicant shall make an application along with prescribed fee for renewal/trial consent (CTO) at least 30 days before the operation of unit.
2. Prior to abstraction of ground water, unit shall obtain a No Objection Certificate from U.P. Ground Water Authority for abstraction of ground water and project shall provide the NOC of UPGWD for extracting ground water within 03 month, if required. The PP will be used only Municipal supply water as per proposal.
3. Project shall comply the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
4. The project shall be obtained NOC form competent authority for disposal of rest treated water to nearby sewer line/drain.
5. At the project site a display board size 4x6 feet shall be installed to display the provisions of Construction and Demolition Rules 2016.
6. Project shall develop proper green belt and rain water harvesting system as per Authority guidelines. For green belt at least 8 feet height plants should be planted which shall be properly protected as proper irrigation and manuring arrangements shall be made. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt.16-02-2018 shall be complied.
7. Project shall comply the provisions of notification dt. 07-10-2016 of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Conservation GoI.
8. Project shall not start gaseous emission & sewage generation without prior consent of the board.
9. All construction activities shall be according to authority guidelines and after approval or approved plan.
10. This CTE is valid for the Establishment of unit only as mentioned above. In case of any change in production capacity, process, raw materials use etc. the unit will have to intimate the Board. For any enhancement of the above, fresh Consent to Establish has to be obtained from U.P. State Pollution Control Board.
11. The project shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEF & CC i.e. Plastic Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, E-waste (Management) Rules,2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
12. Project shall not use ground water in construction activities. Only STP treated water shall be used.
13. Project shall be developed/constructed as per approved map from competent authority and submit approved plan to Board.
14. Unit will put tarpaulin scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
15. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area.
16. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
17. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
18. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
19. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
20. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
21. All medical aid, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
22. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
23. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
24. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

25. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the industry shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A).
26. The project shall provide adequate arrangement for fighting the accidental leakages/discharge of any air pollutant/gas/liquid from the vessel, machinery etc. which are likely to cause fire hazard including environmental pollution.
27. Project shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.
28. Project shall ensure carbon offsetting as per Government Order (Environment Department) issued vide letter no. H17259/ 183/55-2-2018/09(writ)/2016 dated 15.03.2018.
29. A good housekeeping shall be maintained both within the project and in the premises. All hoods, pipes, valves, sewers and drains shall be leaking proof. Floor washings shall be admitted into the effluent collection system only and shall not be allowed to find their way into storm drains or open areas.
30. Separate power connection with energy meter shall be provided for the Pollution Control Equipment's and record of power consumption and chemicals consumption for the operation of pollution control equipment shall be maintained separately.
31. The applicant shall furnish to the visiting officer and / or the Board any information regarding the construction, installation or operation of the effluent treatment system / air pollution control equipment / secured storage area of Hazardous Waste and such other particulars as may be pertinent for preventing and controlling pollution.
32. The industry shall comply with ambient air quality standards of SO₂ - 80 g/m³; NO_x - 80 g/m³, PM_{2.5} - 60 g/m³; PM₁₀ - 100 g/m³; and other parameters as notified by MoEF & CC, GOI vide notification No. GSR 826(E), dated 16.11.2009 during operational phase of the project.
33. Concealing the factual data or submission of false information / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned in this order may result in withdrawal of this order and attract action under the provisions of relevant pollution control Acts.
34. The project is liable to pay compensation for any environmental damage caused by it, as fixed by the Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board.
35. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
36. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
37. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt. 16-02-2018 shall be complied.
38. Project shall not establish Hot Mix/Ready Mix/Wet Mix Plant without prior permission of Board.
39. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) directions issued time to time regarding use of cleaner fuel.
40. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) directions regarding DG sets.
41. The Board reserves its right to modify above conditions or stipulate any additional conditions including revocation of this order, in the interest of environment protection. In case of violation of above-mentioned conditions or any public complaint the CTE shall be withdrawn.
42. Project shall install anti-smog guns and PTZ camera at site and ensure registration on dustapp.ucecp.in for self-declaration of dust control audit.
43. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) direction no. 76 and 77 regarding regulation of DG sets.
44. In the case of usage of ground water, the Project Proponent must obtain NOC from CGWA within one month from the date of issue of CTE, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines dated 24.09.2020 and amendments dated 29.03.2023 thereto.
45. Project shall obtain permission of competent authority to discharge surplus sewage into CSTP.
46. As per Project Report 649 KLD water (325 KLD Fresh Water and 324 KLD Treated water) will be required for domestic purposes. Project has proposed to installed STP of capacity 570 KLD for treatment of 456 KLD domestic effluent. Project shall ensure the compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986. Maximum quantity of treated water shall be used in gardening /flushing. The Unit will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB server. The unit will follow the CPCB Guidelines for Utilization of Treated Effluent in Irrigation available in the CPCB web portal.
47. A Bank Guarantee of Rs. 10,00,000/- (Rs Ten lacs only) shall be submitted within 30 days including the above conditions which will be valid for two years otherwise this consent to establish shall be deemed to be withdrawn.

636

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 10/10/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

**Vivek
Roy**

Digitally signed
by Vivek Roy **CEO**
Date: 2024.09.10 **C-1.**
01:36:41 +05'30'

Dated:- 10/09/2024

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida

**Vivek
Roy**

Digitally signed
by Vivek Roy **CEO**
Date: 2024.09.10 **C-1.**
01:36:56 +05'30'



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 425222 / सी-1 / वायु-1931 / बन्दी आदेश-वायु/2025

पंजीकृत
दिनांक : 6-3-25

मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट)
प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल,
ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
मो० न०-9310201569

यह कि मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट), प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर एक रो हाउसिंग परियोजना है, जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39डी के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक-एच17647/सी-1/सा०-1931/का०ब०नो०/2024 दिनांक-23.09.2024 के अनुक्रम में परियोजना का नवीनतम निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-30.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एन्टी स्मॉग गन, लो कार्स्ट पी०एम० सेन्सर, ग्रीन नेट से कवरिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है तथा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। उक्त परियोजना मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों में आच्छादित है। परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, उक्त हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक-20.08.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में परियोजना द्वारा बोर्ड के कारण बताओ नोटिस-23.09.2024 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन न करने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा पत्र दिनांक-05.02.2025 के माध्यम से परियोजना के विरुद्ध पूर्व निरीक्षण दिनांक-04.07.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक की डिफाल्टर अवधि 150 दिन हेतु रूपया-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रूपया-15,00,000/- (रूपया पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी के कारण बताओ नोटिस दिनांक-23.09.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है। बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक-23.09.2024 के माध्यम से निर्गत कारण बताओ नोटिस को परियोजना प्रतिनिधि को दिनांक-24.09.2024 को प्राप्त करा दी गयी थी। परियोजना द्वारा दिनांक-04.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा को नोटिस प्रेषित प्राप्त करायी गयी है परन्तु उक्त नोटिस में बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में परियोजना के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

.....2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह कि मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट), प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है :-


1. यह कि मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट), प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के निर्माण कार्य को बन्द कर दें।
2. यह कि मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट), प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति के दृष्टिगत मै० पी०पी० स्टेट(पुरुषोत्तम स्टेट), प्रमोटर्स-मै० पुरुषोत्तम इण्डस्ट्रीज एण्ड श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, ग्राम-धूम मानिकपुर, जी०टी० रोड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त पूर्व निरीक्षण दिनांक-04.07.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक-30.11.2024 तक की डिफाल्टर अवधि 150 दिन हेतु रूपया-10,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रूपया-15,00,000/-(रूपया पन्द्रह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है जिसका भुगतान Payment gateway (URL:<https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- | | |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय | Greater Noida |
| 3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में इसी लगाया गया | UPPCB |


उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करते हुए उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी ।


 (ए०के० आनन्द)
 पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1
 9/11/24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि परियोजना को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पावर कार्पोरेशन लि०, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग की जल सफाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. लेखाधिकारी-प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय प्रेषित करें।


 पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त-1
 9/11/24



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H20013 /सी-1/सा०-1911/बन्दी आदेश-वायु/2024

दिनांक : 21-11-24

पंजीकृत

मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला(प्रमोटर्स-मै० इस्कान रियलटर्स प्रा०लि०),
खसरा नं०-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
मो०नम्बर-9917171141

यह कि मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला (प्रमोटर्स-मै० इस्कान रियलटर्स प्रा०लि०), खसरा नं०-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2, ग्रेटर नोएडा जो कि आवासीय कॉलानी के निर्माण हेतु उपरोक्त स्थल पर संचालित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-16.10.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना में एण्टी स्मॉग गन, लो कॉस्ट पी०एम० सेन्सर, ग्रीन नेट कवरिंग एवं जल छिड़काव आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। परियोजना द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। परियोजना स्थल पर 250 के०वी०ए० का 01 डी०जी० सेट को अथवा ड्यूल प्यूल में परिवर्तित नहीं किया गया है। परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना निर्माण किया जा रहा है। उक्त परियोजना मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-329/2024

353/844
23114

RO (UPPCB) G. No. 13
कृ० नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाही करें

शेजन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत आच्छादित है।
गौतमबुद्धनगर
22 NOV 2024

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला(प्रमोटर्स-मै० इस्कान रियलटर्स प्रा०लि०), खसरा नं०-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-17.09.2024 की पुष्टि करते परियोजना के विरुद्ध रूपया-10,50,000/- (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

...2

टी०सी०-12 वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail : info@uppcb.com

JE/AEE(S)
for u.a.m.
29/11/24

क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-16.10.2024 के दृष्टिगत मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला (प्रमोटर्स-मै0 इस्कान रियलटर्स प्रा0लि0), खसरा नं0-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2, ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त रूपया-10,50,000/- (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है, जिसका भुगतान Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3 /UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

- | | |
|--|---------------|
| 1- Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति | Air Pollution |
| 2- Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय | Greater Noida |
| 3- EC Imposed In Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया | UPPCB |

उपरोक्त के अतिरिक्त वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाई को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला (प्रमोटर्स-मै0 इस्कान रियलटर्स प्रा0लि0), खसरा नं0-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर की औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मैसर्स इस्कॉन प्राइड विला (प्रमोटर्स-मै0 इस्कान रियलटर्स प्रा0लि0), खसरा नं0-167, 168, ग्राम-बिरौडी, सेक्टर-पाई-1 व 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए परियोजना को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

संलग्नक : निरीक्षण आख्या दिनांक-16.10.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

पर्यावरण अभियन्ता-प्रभारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल अपने स्तर से बन्द कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, ग्रेटर नोएडा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, ग्रेटर नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग की जल सप्लाई विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यालय प्रेषित करें।

पर्यावरण अभियन्ता-प्रभारी, वृत्त-1

**Supply Disconnection || UPPCB || M/S ESCON INFRA REALTOR PRIVATE || BP No 2000247104**

3 messages

Nikhil Kumar Garg <NGarg@noidapower.com>

23 November 2024 at 17:52

To: "rogreaternoida@uppcb.in" <rogreaternoida@uppcb.in>, "caqm-ncr@gov.in" <caqm-ncr@gov.in>
Cc: Harinder Singh <HSingh@noidapower.com>, ms <ms@uppcb.in>, dmgbn <dmgbn@nic.in>, Chairman CPCB <ccb.cpcb@nic.in>, Dr
Narmada Prasad Shukla <narmada.shukla55@gov.in>, ARVIND KUMAR NAUTIYAL <arvind.nautiyal@gov.in>, RAJESH KUMAR
<rajesh.k64@gov.in>, Amit Kumar <amitkumar.fci@gov.in>, rupalrani caqm <rupalrani.caqm@gmail.com>, Ajay Kumar
<ajaykumar.cpcb@gov.in>, Sunil Kumar Sharma <SKSharma@noidapower.com>

Dear Sir,

With the reference of the letter no 990/C/E-120/2024 of dated 22nd Nov 2024 for disconnection of supply of **M/s Escon Infra Realtors Pvt. Ltd.** Khasra No.167, 168 Village Birondi Sector PI-1,& 2 , Greater Noida Gautam Buddha Nagar wherein we would like to inform you that supply has been Disconnected on 23rd Nov 2024.

Thanks & Regards

W: www.rpsg.in**Nikhil Kumar Garg****Dy. General Manager - Commercial, NPCL**
D:1201M: +91-9990046406 E: nikhilkumar.garg@rpsg.in
Plot No. ESS, Tugalpur, Sector KP-1, Behind Kailash Hospital,
Greater Noida City - 201310 Uttar PradeshW: www.noidapower.com

This Message and any attachment (the message) is intended solely for the addressee and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except on formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Noida Power Company Limited (NPCL) shall not therefore be liable for the message if modified.

2 attachments

 **Escon infra Realtors Pvt Ltd.,pdf**
1396K

 **Reply of Escon Infra Realtors.pdf**
152K

2 December 2024 at 13:54

Nikhil Kumar Garg <NGarg@noidapower.com>

To: "rogreaternoida@uppcb.in" <rogreaternoida@uppcb.in>, "caqm-ncr@gov.in" <caqm-ncr@gov.in>

Cc: Harinder Singh <HSingh@noidapower.com>, ms <ms@uppcb.in>, dmgbn <dmgbn@nic.in>, Chairman CPCB <ccb.cpcb@nic.in>, Dr Narmada Prasad Shukla <narmada.shukla55@gov.in>, ARVIND KUMAR NAUTIYAL <arvind.nautiyal@gov.in>, RAJESH KUMAR <rajesh.k64@gov.in>, Amit Kumar <amitkumar.fci@gov.in>, rupalrani caqm <rupalrani.caqm@gmail.com>, Ajay Kumar <ajaykumar.cpcb@gov.in>, Sunil Kumar Sharma <SKSharma@noidapower.com>

Dear Mr Gupta,

Greetings from Noida Power Company Limited !!!


With the continuation of trailing mail and as per detailed verbal discussion & DM Sir instruction for reinstate of electricity supply for M/S ESCON INFRA REALTOR PRIVAT due to 9 to 10 families are staying in the society.

We would like to update you that as per instruction affidavit submitted by the consumer (attached for your kind reference) and they are also going to apply new connection on the same premises for residential use only not for construction purpose, post energization of new connection that existing temporary connection(BP NO 2000247104) will be processed for disconnection.

Based on your principal approval and declaration submitted by consumer, NPCL will reinstate the Electricity supply and we would request you to issue written order to NPCL for reconnection of supply for record purpose.

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

 **SKM_450i24120213210.pdf**
181K



INDIA NON JUDICIAL

643

Government of Uttar Pradesh





IN-UP83117521064089W

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP83117521064089W
 Certificate Issued Date : 30-Nov-2024 12:25 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14042104/ GAUTAMBUDDH NAGAR 2/ UP-GBN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1404210463098072537218W
 Purchased by : ESCON INFRA REALTOR PVT LTD
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ESCON INFRA REALTOR PVT LTD
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : ESCON INFRA REALTOR PVT LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
 (Fifty only)



Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at 'www.stamptemp.com' or using eStamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App rendered it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Government Authority.

Vertical text on the left margin: 30-Nov-2024 12:25 PM IN-UP83117521064089W SUBIN-UPUP1404210463098072537218W ESCON INFRA REALTOR PVT LTD

Vertical text on the right margin: 30-Nov-2024 12:25 PM IN-UP83117521064089W SUBIN-UPUP1404210463098072537218W ESCON INFRA REALTOR PVT LTD

DATE- 30.11.24

Dear Sir/ Madam,

I hope you are doing well.

I am writing to request the immediate restoration of electricity supply to our Project ESCON PRIDE VILLAS ADDRESS- KHASRA NO-168 AND 167 K, VILLAGE BIRONDI CHAKRASENPUR, TEHSIL SADAR, DISTT. G.B. NAGAR. We would like to clarify that the electricity will not be used in construction work. Currently, a few families have shifted to the premises, and they will only be using the electricity for residential purposes. Also we would like to inform you that we have applied for a new domestic meter with reference number 2000247104.

We assure you that we have no intention of using the electricity for construction activities at this stage. Any construction work will be initiated only after we complete the necessary documentation and submit the required papers needed by NGT which will be done in the coming days. We confirm we will NOT be using electricity for our ongoing construction work and in case if this happens we kindly request that you disconnect our current electricity supply until further notice, i.e., until the next order is issued for reconnection, we will be ready for that.

We kindly request your understanding and cooperation in restoring the electricity, as it is urgently needed for residential use. We are confident that this arrangement will comply with all required norms.


Thank you for your prompt attention to this request. We look forward to your positive response and the restoration of the electricity supply.

Best regards,
ESCON INFRA REALTOR PVT. LTD.


Authorised Signatory

Escon Infra Realtor pvt Ltd



ATTESTED

Dharampal Singh
Notary Advocate
Reg. No. 1017
Dist. G.B. Nagar



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternolda@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

दिनांक : 19/3/25

सन्दर्भ संख्या : 1376/NA-T-76/24

सेवा में,

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
नोएडा।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।
3. अधिशाषी अभियन्ता,
सिचाई निर्माण खण्ड,
ब्लॉक-ए, शास्त्री नगर,
गाजियाबाद।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2024 (आई0ए0 नं0- 128/2024) राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2024 (आई0ए0 नं0- 128/2024) राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रान्तर्गत स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना निर्माणाधीन आवासीय, वाणिज्यिक, दूकानें एवं घरों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गौतमबुद्धनगर के ग्रामों के डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को रोकने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी